आदेश की क्रम संख्या और तारीक 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीक के साथ 3
16/3/18	<u>समाहरणालय पटना</u> <u>न्यायालय अरवीट्रेटर सह अपर समाहर्त्ता, पटना</u> <u>विवाचन वाद सं0–09/2016</u> <u>विरेन्द्र कुमार सिन्हा बनाम सरकार एवं अन्य</u> <u>आदेश</u> प्रस्तुत वाद की कार्रवाई एन0 एच0–30 पटना–बख्तियारपुर फोरलेन विस्तारिकरण हेतु अर्जित मौजा–सोनारू, थाना नं0–30 में अर्जित खाता सं0–401, खेसरा सं0–1417 अन्तर्गत अर्जित रकवा–0.1794672 एकड़ के भू–अर्जन से प्रभावित रैयत विरेन्द्र कुमार सिन्हा द्वारा दायर वाद के आलोक में प्रारंभ की गई। वादी द्वारा अर्जित खेसरा सं0–1417 के लिए प्राप्त मुआवजा राशि के साथ 60% सांत्वना राशि के स्थान पर 30% सांत्वना राशि दिये जाने के विरूद्ध वादी द्वारा यह वाद दायर किया गया है। खेसरा सं0–1417 के छुटे हुए रकवा का परियोजना– एन0 एच0–30 पटना–बख्तियारपुर अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्रवाई संबंधी संक्षिप्त विवरणः– परियोजना का नाम– NH-30 पटना–बख्तियारपुर फोरलेन विस्तारिकरण निर्माण, मौजा–सोनारू, थाना नं0–30, रकवा–3.3737856 ए0, L.A. Case No-114/2013-14 NH Act की धारा 3(A) के तहत अधिसूचना, दिनांक–05.06.2013 NH Act की धारा 3(A) के तहत पेपर प्रकाशन–28.11.13 एवं 01.08.13 NH Act की धारा 3(D) के तहत अधिसूचना, दिनांक–28.11.13 खाता सं0–401, खेसरा सं0–1417, अर्जित रकवा–0.1794672 एकड़ प्रस्तुत वाद अन्तर्गत वादी–सह–एवार्डी को दिनांक–09.07.2014 को 100% मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। वादी का दावा है कि दिनांक–01.08.13 को NH Act की धारा 3A के तहत गजट अधिसूचना हुआ तथा दिनांक–03.08.13 को उनके द्वारा स्वेच्छा से भूमि देने का शपथ पत्र दाखिल किया गया है। इसके बावजूद उन्हे सांत्वना राशि 60% के स्थान पर 30% दिया गया है। सुनवाई के क्रम में सक्षम प्राधिकार–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि वादी को उनके अंश के खेसरा सं0–1417 के मिशिगं रकवा–0.17946 एकड़ का 100% मुआवजा राशि का भुगतान स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर किया जा चुका है। स्वेच्छा सूची में एवार्डी (परिवादी) का नाम दर्ज नहीं रहने के कारण उन्हे 30% सांत्वना राशि का भुगतान किया गया है। चुँकि 3G में दर्ज राशि के अतिरिक्त कोई राशि इस स्तर से नहीं दिया जा सकता है। सुनवाई के क्रम में NHAI की ओर से कहा गया की धारा 3A के तहत् खेसरा सं0–1417 का गजट नोटिफिकेशन 1472(E) दिनांक–18.06.2010 को हुआ था तथा धारा 3D के तहत् गजट नोटिफिकेशन दिनांक–03.08.2013 को हुआ। साथ हीं NHAI की ओर से आगे कहा गया की DLAO, पटना द्वारा दिनांक–04.04.2014 को स्वेच्छा से भूमि देने वालो की सूची में वादी का नाम दर्ज नहीं है। NHAI द्वारा वाद की कार्रवाई खारिज करने का अनुरोध किया गया। वादी का दावा एवं NHAI के व्यान तहरीर में वर्णीत बिन्दु विरोधाभाष उत्पन्न कर रहे है। फलस्वरूप L.A. Case No-84/2011-12 द्वारा मौजा–सोनारू, थाना नं0–30, खाता सं0–401, खेसरा सं0–1417, अर्जित रकवा–0.200232 एकड़ एवं L.A. Case No-114/2013-14 द्वारा मौजा–सोनारू, थाना नं0–30, कुल रकवा–	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	3.3737856 एकड़ जिसमें खेसरा सं0–1417, रकवा–0.1794672 एकड़ अर्जित की गई है को देखा गया। NHAI के दावा पर यदि विचार किया जाय जिसमें उनके द्वारा धारा 3A का नोटिफिकेशन दिनांक–18.06.2010 एवं धारा 3D के तहत नोटिफिकेशन सं0–03.03.2011 को होना बताया गया है, जिसमें भू–अर्जन से संबंधित कार्रवाई L.A. Case No-84/2011-12 द्वारा मौजा–सोनारू, थाना नं0–30, खाता सं0–401, खेसरा सं0–1417, अर्जित रकवा–0.200232 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है, जबकि वादी द्वारा लाया गया वाद L.A. Case No-114/2013-14 द्वारा की गई भू–अर्जन की कार्रवाई से संबंधित है, जिसका NH. Act की धारा 3A के तहत गजट नोटिफिकेशन 05.06.13 एवं 3D के तहत गजट नोटिफिकेशन 28.11.13 को हुई है। इस प्रकार NHAI के दावा का आधार गलत तथ्यों पर आधारीत है। संचिका अवलोकन से ज्ञात होता है कि L.A. Case No-84/2011-12 द्वारा मौजा–सोनारू, थाना नं0–30, खाता सं0–401, खेसरा सं0–1417, अर्जित रकवा–0.200232 एकड़ का भू–अर्जन हुआ है, जिसमें वादी द्वारा दावा नहीं किया गया है और न हीं उसके लिए वादी का दावा स्वीकार योग्य होगा, परन्तु L.A. Case No-114/2013-14 द्वारा मौजा–सोनारू, थाना नं0–30, खेसरा सं0–1417, रकवा–0.1794672 एकड़ का NH Act की धारा 3A के तहत् गजट नोटिफिकेशन सं0–1449(A) 05 जून 2013 को भारत के राजपत्र में तथा उसका स्थानीय समाचार पत्र में 01 अगस्त 2013 को सार्वजनीक सूचना हेतु प्रकाशन हुआ है। वादी द्वारा स्वेच्छा से भूमि देने का शपथ पत्र सं0–1823, दिनांक–03.08.13 जिला भू–अर्जन कार्यालय में दिनांक–03.08.13 को समर्पित किया गया। जहाँ तक भू–अर्जन कार्यालय द्वारा भेजे गये स्वेच्छा से भूमि देने वालों की सूची में एवार्डी का नाम दर्ज नहीं होने की बात है, यह एक मानवीय या टंकण भूल है जिसके लिए किसी व्यक्ति के हितों को दरकिनार किया जाना विधि संगत नहीं होगा। वर्णीत परिस्थिति में एवार्डी को L.A. Case No-114/2013-14 में अर्जित खेसरा सं0–1417 में एवार्डी को भुगतान किये गये रकवा पर देय मुआवजा राशि पर शेष 30% सांत्वाना राशि के भुगतान का आदेश दिया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई निष्पादित की जाती है। 6/3/18 आरवीट्रेटर –सह– अपर समाहर्त्ता, पटना।	